

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या..... 1473/2025

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या..... 598/2025 Dishivaj Buildcon.pvt.Ltd

चूंकि श्री..... H.K.PANDEY (Advocate)..... द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित श्री. - Vishnu Mahato

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता०.....

से ता० 01.01.2011 to 11/11/2025 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ
.....								

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच० के० पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं०-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- **Mohardga**, Thana- **Birsomga** Thana No- **1200** Halka No- **800, 360** Khata No- **800, 360** Plot No- **4496(0) & 1453, 1449(N)**

Area- **5.36 Decimal**

जमीन

में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर -



पदनाम -



तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की



हस्ताक्षर -

पदनाम -

कार्यालय -



जिला अवर निबंधन
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों को छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

1456/2025

आवेदन पत्र संख्या.....

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या.....

581/2025

Ashiraj Buildcon Pvt. Ltd

चूंकि श्री.....H.K.PANDEY (Advocate).... द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि

निम्नलिखित

By:- Ashwini Kumar Mishra

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

से ता0 01.01.2011 to Tudu date तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच0 के0 पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं0-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- **Mohardga,** Thana- **Birsamagar** Thana No- **1200** Halka No-

Khata No- **800, 360N**


Plot No- **449600, 145300(N)**

Area- **4.95 Decimal**

में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

जमीन

हस्ताक्षर -


27/3/23

पदनाम -

सहायक

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

सहायक

हस्ताक्षर -

पदनाम -

कार्यालय -



जिला अवर निबंधक
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर


27/3/23

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या..... 1460/2025

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या..... 585/2025 Rishi Raj Buildcom. Pvt. Ltd

चूंकि श्री..... H.K.PANDEY (Advocate)... द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि
निम्नलिखित For:- Kulbinder Kaur

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

से ता0 01.01.2011 to 14.01.2025 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवधारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच0 के0 पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं0-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- Moharda, Thana- Bivsonagar Thana No- 1200 Halka No- Khata No- 8(0) & 36(ND) Plot No- 4496(0) & 1454(ND)

Area- 2.06 Decimal
में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

जमीन

हस्ताक्षर - [Signature]
27/3/25

पदनाम -

[Signature]

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

[Signature]

हस्ताक्षर -

पदनाम -

कार्यालय -



[Signature]
जिला अवर निबंधन
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या..... 1472/2025

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या.....

597/2025 Rishiraj Buildcon. Pvt. Ltd

चूंकि श्री.....H.K.PANDEY (Advocate)... द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित

B.V. - Nity Singh

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

से ता0 01.01.2011 to TUD date तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्ट के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ
.....								

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।


में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच० के० पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं०-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- **Muzakoti**
Thana- **Bivsonagar** Thana No- **1199** Halka No-
Khata No- **6(0) & 40(N)**
Plot No- **4157(0) & 1451(N)**

Area- **6.60 Decimal**

जमीन

में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर - 

पदनाम -



तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की



हस्ताक्षर -

पदनाम -



जिला अवर निबंधन
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

कार्यालय -

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या..... 1459/2025

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या..... 584/2025 Rishiraj Buildcon. Pvt. Ltd

चूंकि श्री..... H.K.PANDEY (Advocate)... द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित

Prop - Kunal Kumar Singh

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

से ता0 01.01.2011 to TILL date तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ
.....								

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच० के० पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं०-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- Mohardga
Thana- Bivsanaga Thana No- 1200 Halka No-
Khata No- 800, 54CN
Plot No- 449800, 1446CN

Area- 4.95 Decimal जमीन
में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर - [Signature]
27/3/25

पदनाम -

सहायक

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

सहायक

हस्ताक्षर -

पदनाम -

कार्यालय -



[Signature]
जिला अवर निबंधन
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों को छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या..... 1458/2025

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या..... 583/2025 Dishraj Buildcon. Pvt. Ltd

चूंकि श्री..... H.K.PANDEY (Advocate)... द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित

For: - Vandana Mishra

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता०.....

से ता० 01.01.2011 to Tildate तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ
.....								

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच0 के0 पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं0-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- **Mohasda,**
Thana- **Birsanagar** Thana No- **1200** Halka No-

Khata No- **800, 360N**

Plot No- **1496 (0), 1453 (P), 1449 (P) (N)**

Area- **2.944 decimal**

जमीन

में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर - **[Signature]**
27/3/25

पदनाम -

[Signature]

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

[Signature]

हस्ताक्षर -

पदनाम -

कार्यालय -



जिला अवर निबंधन
पूर्वी सिंहभूम
जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेसन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या..... 1457/2025

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या 582/2025 Rishiraj Buildcon Pvt. Ltd

चूंकि श्री H.K.PANDEY (Advocate) द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित

For:- Poonam Singh

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

से ता0 01.01.2011 to Till date तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ
.....								

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्तें कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच० के० पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं०-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- **Moharda**, Thana- **Bivsonagar** Thana No- **1200** Halka No-

Khata No- **800, 36CN**

Plot No- **449600, 1453CN**

Area- **4.96 Decimal**

जमीन

में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।


हस्ताक्षर -


27/3/23

पदनाम -



तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की



हस्ताक्षर -

पदनाम -



कार्यालय -

जिला अवर निबंधन
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या..... 1471/2025

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या..... 596/2025 Rishiraj Buildcon. Pvt. Ltd

चूंकि श्री..... H.K.PANDEY (Advocate)... द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित **श्री. - Meenakshi Devi**

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

से ता0..... 01.01.2011 to..... Tuj date तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच० के० पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं०-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- **Murakati**
Thana- **Birsanagar** Thana No- **1199** Halka No-


Khata No- **16(0) & 55(N)**

Plot No- **1157(0) & 1150(N)**


Area- **2.47 Decimal**

में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

जमीन

हस्ताक्षर - 

पदनाम -



तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की



हस्ताक्षर -

पदनाम -

कार्यालय -



जिला अवर निबंधन
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेसन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या..... 1474/2025

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या..... 599/2025 Rishiraj Build con. Pvt. Ltd

चूंकि श्री..... H.K.PANDEY (Advocate)... द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित

For:- Kisan Panjan

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

से ता0 01.01.2011 to 10/10/2025 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्ट के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ
/								

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच० के० पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं०-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- **Mohardq,** Thana-**Biswanagar** Thana No- **1200** Halka No-


Khata No- **8(0) & 36(N)**

Plot No- **4496(0) & 1453(N)**

Area- **4.95 perma**

जमीन

में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर - 
27/3/25

पदनाम -

सहायक

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

सहायक

हस्ताक्षर -

पदनाम -



कार्यालय -

जिला अवर निबंधन
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या..... 1476/2025

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या..... 601/2025 Rishiraj Buildcon. Pvt. Ltd

चूँकि श्री..... H.K.PANDEY (Advocate)... द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित Br. Bibha Karan alias Bibha Karan

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

से ता0 01.01.2011 to Today तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच० के० पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं०-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- **Mohardra,** Thana-**Bilsamagar** Thana No- **1200** Halka No-

Khata No- **8(0) 8 36 (N)**

Plot No- **4496 (0) 8 1453 (N)**

Area- **4.95 Decimal**

जमीन

में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर -

KPL
27/3/25

पदनाम -

सहायक

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

सहायक

हस्ताक्षर -

पदनाम -



कार्यालय -

जिला अवर निबंधन
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या..... 1475/2025

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या..... 600/2025 Rishiraj Builders Pvt. Ltd

चूंकि श्री..... H.K.PANDEY (Advocate)... द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित **Pr. - Anandini Harpax**

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

से ता0..... 01.01.2011 to **TW date** तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ
/								

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच० के० पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं०-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- **Moharda**, Thana- **Blvsanaga** Thana No- **1200** Halka No-

Khata No- **800 & 36(N)**


Plot No- **4496(O) & 1453(P), 1449(N)**

Area- **4.95 Decima**

जमीन

में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर -



पदनाम -

सहायक

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

सहायक

हस्ताक्षर -

पदनाम -



कार्यालय -

जिला अवर निबंधक
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेसन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिविष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या..... 1480/2025

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या..... 605/2025 Rishiraj Buildcon. Pvt. Ltd

चूंकि श्री..... H.K.PANDEY (Advocate)... द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित **For:- Ashwini Kumar Mishra**

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

से ता0 01.01.2011 to **Till date** तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ
.....								

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-


(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच० के० पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं०-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- **Murakoti**
Thana- **Birsatnagar** Thana No- **1199** Halka No-
Khata No- **1(0), 3(CN)**
Plot No- **4162(0), 1455(P)(CN)**

Area- **3.30 decimal** जमीन
में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर - 
27/3/24

पदनाम -



तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की



हस्ताक्षर -

पदनाम - 
कार्यालय - 
27/3/24
जिला अवर निबंधक
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेक्शन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इंडेक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिविष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या..... 1470/2025

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या..... 595/2025 Rishiraj Build com. Pvt. Ltd

चूँकि श्री..... H.K.PANDEY (Advocate)... द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित For:- Sumit Singh Kumari

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

से ता0 01.01.2011 to Till date तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच० के० पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं०-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza-

Muzakati
Thana-Birsomgarh Thana No- 1199 Halka No-


Khata No- 6(0) & 40(CN)

Plot No- 4156(0) & 1451(CN)

Area- 2.47 decimal

जमीन

में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर - 
27/3/25

पदनाम -

सहायक

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

सहायक

हस्ताक्षर -

पदनाम -



कार्यालय -

जिला अवर निबंधक
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेसन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या..... 1479/2025

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या..... 604/2025 Rishiraj Buildcon Pvt. Ltd

चूँकि श्री..... H.K.PANDEY (Advocate)... द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित ~~श्री~~:- Ashwini Kumar Mishra & Vandana Mishra

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

से ता0 01.01.2011 to Tili date तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ
.....								

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच० के० पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं०-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- **Murakati**
Thana- **Bivstanagar** Thana No- **1199** Halka No-


Khata No- **1 (O), 3 (N)**

Plot No- **4162 (O) & 1455 (N)**

Area- **4.13 decimal**

में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

जमीन

हस्ताक्षर - 
27/3/24

पदनाम -



तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की



हस्ताक्षर -

पदनाम -

कार्यालय -



जिला अवर निबंधन
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा उन्हें विनिविष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या..... 1478/2025

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या..... 603/2025 Rishiraj Buildcon. Pvt. Ltd

चूँकि श्री..... H.K.PANDEY (Advocate)... द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित Pr. - Kulbinder Kaur

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

से ता0 01/01/2011 to 11/11/2011 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्ट के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।


में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम,
जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच० के० पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी
सं०-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- **Murakati**
Thana- **Birsanagar** Thana No- **1199** Halka No-
Khata No- **7(0)836CN)**
Plot No- **416(0) & 1453CN)**

Area- **4.5 Decimal**

में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

जमीन

हस्ताक्षर - 
27/3/25

पदनाम -

सहायक

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

सहायक

हस्ताक्षर -

पदनाम -

कार्यालय -



जिला अवर निबंधक
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा उन्हें विनिविष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या..... 1477/2025

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या..... 602/2025 Rishiraj Buildcom. Pvt. Ltd

चूंकि श्री..... H.K.PANDEY (Advocate)... द्वारा..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित P.V. - Kisan Rajan

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0.....

से ता0 01.01.2011 to TU date तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्ट के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में क्रमशः आवेदक श्री एच० के० पाण्डे अधिवक्ता द्वारा अनुक्रमणी सं०-II स्वयं जाँच की गई। जिसका Mouza- **Mohardga,**
Thana- **Bivsonggow** Thana No- **1200** Halka No-


Khata No- **8(0) & 36(CN)**

Plot No- **4496(0) & 1453(P)(CN)**


Area- **2.944 decimal**

जमीन

में कोई अवभार नहीं मिला। अतः आवेदक के लिखित जानकारी के आधार पर यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर - 

पदनाम -



तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की



हस्ताक्षर -

पदनाम -

कार्यालय -



जिला अवर निबंधन कार्यालय
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेसन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ता हो।